सारण समाहरणालय, छपरा

(जिला गोपनीय शाखा)

पत्रांक 4241 /सी दिनांक 16 अक्टूबर,2019	फोन नं0-06152-240001, 240002 फैक्स नं0-06152-240006 ई-मेल- dm-saran.bih@nic.in

छठ संयुक्त आदेश

इस वर्ष लोक आस्था का महान पर्व छठ दिनांक 31.10.19 से 3.11.19 तक मनाया जायेगा। दिनांक 31.10.19 को नहाय खाय के साथ यह पर्व प्रारंभ होता है जिस क्रम में दिनांक 2.11.19 को संध्या समय और 3.11.19 को सूर्योदय के समय अर्ध्य प्रदान कर यह पर्व संपन्न होगा। इस पर्व के अवसर पर श्रद्धालुओं द्वारा विभिन्न स्थानो पर अवस्थित छोटे-बड़े ताल-तलैया, नदी-पोखर इत्यादि के किनारे स्थायी/ अस्थायी घाट बना कर और समूह में एकत्रित हो कर अस्ताचलगामी और उदयमान भगवान भास्कर की पूजा अर्चना कर उन्हें अर्ध्य दिया जाता है। सारण जिलान्तर्गत गंगा, गंडक और घाघरा प्रमुख नदियां हैं जिनके किनारे श्रद्धालू पूजा अर्चना करते हैं। इन नदियों के किनारे मांझी, रिविलगंज, डोरीगंज, दिघवारा, मकेर, पानापुर और सोनपुर प्रखंडो के क्षेत्र आते हैं। अतः इन क्षेत्रो में विशेष सतर्कता अपेक्षित है। इसके अतिरिक्त जिला में स्थित अन्य छोटी छोटी नदियों और तालाबों के किनारे भी श्रद्धालु छठ व्रत करते हैं जिस ओर भी व्यापक ध्यान अपेक्षित है। और छोटी छोटी ऐसा पाया जाता है कि इस अवसर पर काफी संख्या में लोग नदी में प्रचार-प्रसार करने मनोरंजन के उद्देश्य से नाव पर चलते हैं और आतिशबाजी करते हैं जिससे जहां एक ओर छठ व्रतियों को असुविधा होती है वहीं दूसरी ओर विधि व्यवस्था संधारण में भी कठिनाई होती है।

ऐसा भी देखा गया गया है कि नाविकों के द्वारा अधिक फायदा प्राप्त करने के उद्देश्य से नाव की क्षमता से अधिक लोगों को बैठाकर नदी में फेरी लगायी जाती है जिससे नाव अनियंत्रित होने से उसके डूबने की संभावना बनी रहती है।

वर्णित परिप्रेक्ष्य में छठ महापर्व के दौरान संभावित दुर्घटना/ आपदा की रोक-थाम तथा आपदाओं के न्यूनीकरण तथा विधि यवस्था बनाए रखने के निमित्त निम्नवत् आदेश दिए जाते हैं:-

1- साफ सफाई एवं प्रकाश व्यवस्थाः-

1.1 सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी/ कार्यपालक पदाधिकारी, छपरा नगर निगम एवं नगर पंचायत अपने क्षेत्र में अवस्थित छठ घाटो की समय पूर्व साफ सफाई करवाना सुनिश्चित करेंगे। वे यह भी देख लेंगे कि मुख्य मार्ग और घाट तक जाने वाले पथ में कोई रुकावट/ दलदल या पानी एकत्रित नहीं है। वे आश्वस्त हो लेंगे छठ मार्ग में कोई विवाद या साम्प्रदायिक तनाव वाली बात तो नहीं है। ऐसा होने पर वे अविलंब इसे दूर करना सुनिश्चित करेंगे। साथ ही अर्ध्य दिए जाने वाले स्थलों और वहां जाने वाले मार्ग पर सफाई के साथ-साथ समुचित प्रकाश की व्यवस्था भी सुनिश्चित की जाए।

1.2 सभी अनुमण्डल पदाधिकारियों को आदेश दिया जाता है कि प्रत्येक छठ घाट के भौतिक सत्यापन हेतु टीम गठित कर सत्यापन प्रतिवेदन दिनांक 25.10.19 तक प्राप्त कर लें। निरीक्षण के दौरान उस छठ घाट के स्थानीय आयोजन समिति के सदस्यों को भी साथ रखा जाय ताकि छठ घाटो पर कराये जाने वाले कार्यो के संबंध में वास्तविक स्थिति की जानकारी प्राप्त हो सके और तदनुसार अग्रतर कार्रवाई की जा सके। यह भी सुनिश्चित किया जाय कि घाटो का निर्माण, बैरिकेडिंग, संपर्क पथ का निर्माण, साफ सफाई तथा लाइटिंग की

व्यवस्था छठ पर्व प्रारंभ होने के दो दिन पूर्व अर्थात दिनांक 29.10.19 तक हर हाल में पूर्ण हो जाय।

2– दण्डाधिकारी/ पुलिस पदाधिकारी/ पुलिस बल की प्रतिनियुक्तिः–

2.1 सभी अनुमण्डल पदाधिकारी/ अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी, प्रखण्ड विकास पदाधिकारी/ अंचलाधिकारी एवं थानाध्यक्ष के साथ बैठक कर छठ व्रतियों द्वारा अर्ध्य देने के स्थान को चिन्हित कर पर्याप्त संख्या में पालीवार दण्डाधिकारी/ पुलिस पदाधिकारी एवं बल की प्रतिनियुक्ति सुनिश्चित करेगें। प्रतिनियुक्त पदाधिकारी अर्घ्य दिए जाने वाले स्थलों पर दिनांक 2.11.19 को 12.30 बजे अपराह्न में अपना स्थान ग्रहण कर लेगें एवं दिनांक 3.11.19 के मध्याह्न तक प्रतिनियुक्त रहेगें। प्रतिनियुक्त दण्डाधिकारी/ पुलिस पदाधिकारी के लिए अर्घ्य दिए जाने वाले स्थल पर अस्थायी शिविर/ कुर्सी / लाउड स्पीकर आदि की व्यवस्था संबंधित अनुमण्डल पदाधिकारी सुनिश्चित करेगें।

2.2 प्रतिनियुक्त पदाधिकारी/ पुलिस पदाधिकारी अर्घ्य दिए जाने वाले स्थलों पर लगातार श्रमणशील रहकर विधि–व्यवस्था का संधारण सुनिश्चित करेगें तथा यह सुनिश्चित करेगें कि घाट पर जहाँ व्रतियों द्वारा पूजा की जाती है उसके आस–पास आतिशबाजी नहीं हो। इस बारे मे पूजा के आयोजको को समय पूर्व भली–भांति अवगत करा दिया जाय।

2.3 छठ पर्व के दौरान अत्यधिक भीड़ का लाभ उठा कर असामाजिक तत्वों द्वारा विधि व्यवस्था भंग करने की कोशिश की जाती है। भीड़ का लाभ उठा कर कभी कभी मनचलों द्वारा छेड़खानी भी करने की शिकायत प्राप्त होती है जिससे विधि व्यवस्था की समस्या एवं अफरा तफरी की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। इसलिये सभी अनुमण्डल पदाधिकारी/ अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी इस प्रकार की घटनाओं को रोकने के लिये घाटो पर पर्याप्त पुलिस बल के साथ साथ सादी वर्दी में पुरुष/ महिला पुलिसकर्मी की प्रतिनियुक्ति करना सुनिश्चित करेंगे।

3– नदी/ घाटो की बैरिकेडिंगः–

3.1 नदियों/ पोखर/ तालाब में कहीं–कहीं गहराई अधिक होने के कारण दुर्घटना की संभावना होती है। अतएव संबंधित अंचल अधिकारी समय पूर्व ऐसे खतरनाक स्थलों को चिन्हित करेंगे तथा नदियों में जहां से गहराई प्रारंभ होती है एवं अर्ध्य अर्पित करने/ स्नान करने वालो के डूबबने की संभावना हो वहां बैरिकेडिंग करवा कर बल्ले को रंगवाते हुए उस पर लाल झण्डी लगा देगें ताकि स्नानार्थी इस सीमा के पार न जा सकें। वे इसका व्यापक प्रचार प्रसार करवाना सुनिश्चित करेंगे। बैनर/ होर्डिग/ लाउडस्पीकर के माध्यम से इसकी सूचना आम जनता को दी जाय ताकि श्रद्धालुओं को छठ पर्व के पूर्व इसकी जानकारी प्राप्त हो जाय और वे वैकल्पिक घाटो का चयन पर्व के पूर्व कर लें। यह भी देखा गया है कि घाटो को खतरनाक घोषित करने के बावजूद व्रती उस घाट पर पूजा करने चले आते हैं अतः ऐसे घाटो पर जाने वाले रास्तो को समय पूर्व अवरूद्ध कर दिया जाय। अनुमण्डल पदाधिकारी/ अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी इन स्थानो पर दण्डाधिकारी और पुलिस बल की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे ताकि श्रद्धालुओ को वहां जाने से रोका जा सके।

3.2 वहां प्रतिनियुक्त दण्डाधिकारी सुरक्षित क्षेत्र में ही अर्ध्य देने की सूचना लाउड स्पीकर के माध्यम से देते रहेगें। कटाव के कारण खतरनाक घाटो को पूर्व से ही चिन्हित कर लिया जाय और उन पर जाने का मार्ग निषिद्ध कर दिया जाय ताकि कोई दुर्घटना नहीं होने पाये।

3.3 छठ व्रतियों द्वारा घाट पर जाने के लिए छोटी एवं भारी वाहनों का उपयोग किया जाता है। ये सभी वाहन प्रायः घाट के आस–पास ही खडे कर दिये जाते है जिससे जाम की स्थिति उत्पन्न हो जाती है एवं आवागमन में भी कठिनाई होती है। ऐसी स्थिति से निपटने हेतु सभी प्रतिनियुक्त पदाधिकारी/ पुलिस पदाधिकारी घाट के आस–पास स्थल चिन्हित कर पार्किंग की व्यवस्था सुनिश्चित करेगें। व्रतियों द्वारा प्रथम दिन घाट से लौटने के क्रम में देर

संध्या हो जाती है तथा दूसरे दिन घाट पर जाने हेतु आवागमन प्रायः अर्द्धरात्रि से प्रारम्भ हो जाता है। ऐसी स्थिति में संबंधित थानाध्यक्ष आवागमन के रास्ते में लगातार भ्रमणशील रहेगें।

4– निजी नावों के परिचालन पर प्रतिबंधः–

सभी प्रतिनियुक्त पदाधिकारी/ पुलिस पदाधिकारी दिनांक 2.11.19 के अपराह्न 12:30 बजे से दिनांक 3.11.19 के मध्याह्न तक यह सुनिश्चित करेगें कि किसी भी परिस्थिति में निजी नावों का परिचालन नहीं हो। सभी अनुमण्डल पदाधिकारी छठ पर्व प्रारंभ होने के पूर्व से ही जांच अभियान चलाते हुए गैर पंजीकृत नावों को जप्त कर उसके मालिको के विरुद्ध कार्रवाई भी करना सुनिश्चित करेंगे।

5– आपदा प्रबंधन शाखा के कर्त्तव्य और दायित्वः–

5.1 प्रभारी पदाधिकारी आपदा प्रबंधन शाखा, छपरा सभी महत्वपूर्ण छठ घाटो पर प्रशिक्षित गोताखोरो की प्रतिनियुक्ति करना सुनिश्चित करेंगे। आवश्यकतानुसार प्रशिक्षित गोताखोर नाव/ मोटरबोट/ लाइफ जैकेट के साथ नदी के अंदर क्रियाशील हो सकते हैं।

5.2 आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा उपलब्ध कराये गये IELS के माध्यम से छठ घाटो के किनारे और रास्तो में पर्याप्त रोशनी की व्यवस्था की जाय।

5.3 इस पर्व के अवसर पर पूर्व में लोगों के डूबने की भी घटना प्रकाश में आई है। ऐसी स्थिति में अर्ध्य दिए जाने वाले स्थलों पर प्रभारी पदाधिकारी, आपदा प्रबंधन शाखा, अनुमण्डल पदाधिकारीगण से समन्वय स्थापित कर समुखित संख्या में तैराको/ गोताखोरों की प्रतिनियुक्ति करना सुनिश्चित करेंगे। साथ ही बड़े घाटों के लिये आवश्यकतानुसार SDRF/.NDRF की अधियाचना भी सुनिश्चित करेंगे। सभी अंचल अधिकारी/ अनुमण्डल पदाधिकारी/ अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी प्रभारी पदाधिकारी, जिला आपदा प्रबंधन शाखा, छपरा एवं परिचारी प्रवर, पुलिस लाईन, छपरा इस संबंध में आपस में समन्वय से कार्य करेंगे।

6– विद्युत विभाग छपरा के कर्त्तव्य और दायित्वः–

6.1 छठ पर्व का अधिकांश हिस्सा संध्या काल से प्रारंभ हो कर अगले दिन प्रातः काल तक होता है इसलिये सूर्यास्त के बाद अंधेरे में असामाजिक तत्वों की गतिविधियों से इंकार नहीं किया जा सकता है। इस क्रम में ऐसे तत्वों द्वारा कभी कभी झूठी अफवाह फैलाने से भी भगदड़ अथवा विधि व्यवस्था भंग होने की स्थिति उत्पन्न हो जाया करती है। छठ घाट एवं इसके आस पास के क्षेत्र में अतिशय भीड़ जमा होने के कारण ऐसी गतिविधियों से जान माल की क्षति होने की आशंका बनी रहती है। इस स्थिति से निबटने के लिये जिला प्रशासन, स्थानीय पूजा समितियों एवं अन्य स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा मुख्य मार्ग एवं छठ घाट पर प्रकाश की व्यापक व्यवस्था की जाती है। इसके लिये अचूक विद्युत आपूर्त्ति अनिवार्य है। साथ ही इस क्रम में विद्युत आपूर्त्ति व्यवस्था को भीड़ में उपस्थित आम जन के लिये सुरक्षित बनाये रखना भी अति महत्वपूर्ण है। निदेश दिया जाता है कि कार्यपालक अभियन्ता, विद्युत आपूर्त्ति प्रमण्डल, पूर्वी एवं पश्चिमी, छपरा ससमय संभावित भीड़ एकत्र होने वाले स्थानो पर विद्युत आपूर्त्ति व्यवस्था से संबंधित पोल, तार इत्यादि की जांच कर असुरक्षित संरचनाओं को चिन्हित करते हुए वहां जर्जर पोल/ तार/ सेपेरेटर/ इन्सुलेटर इत्यादि को युद्ध स्तर पर बदलवाना सुनिश्चित करेंगे ताकि वह आम जन के लिये सुरक्षित रह सके।

6.2 कार्यपालक अभियन्ता, विद्युत आपूर्त्ति प्रमण्डल पूर्वी एवं पश्चिमी को निदेश दिया जाता है कि अनुमण्डल पदाधिकारी, सदर, छपरा, सोनपुर और मढ़ौरा से समन्वय स्थापित कर अधिक भीड़ और संवेदनशील स्थानो को चिन्हित कर लेंगे और उक्त स्थानो पर कनीय विद्युत अभियन्ता और सहायक विद्युत अभियन्ता की प्रतिनियुक्ति करते हुए उनकी सूची मोबाइल नंबर के साथ संबंधित अनुमण्डल पदाधिकारी और जिला नियंत्रण कक्ष को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। प्रतिनियुक्त पदाधिकारी ससमय अपने प्रतिनियुक्ति स्थल पर पहुँच कर सुरक्षित

विद्युत आपूर्त्ति के लिये की गई सभी व्यवस्था का पूर्ण निरीक्षण कर लेंगे और यदि कोई त्रुटि होगी तो उसे तत्क्षण दूर करने की कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे।

6.3 विद्युत विभाग के प्रतिनियुक्त पदाधिकारियों द्वारा स्थानीय पूजा समितियों द्वारा की गई व्यवस्था का भी निरीक्षण किया जायेगा। वे यह भी देखेंगे कि घाटो पर लाइटिंग के लिये की गई वायरिंग खुली हुई तथा अव्यवस्थित नहीं हो। उनके द्वारा असुरक्षित बिन्दुओं के संबंध में जिला प्रशासन द्वारा प्रतिनियुक्त दण्डाधिकारी/ पुलिस पदाधिकारी के सहयोग से पूजा समितियों को अवगत कराते हुए व्यवस्था को सुरक्षित बनाने का कार्य किया जायेगा।

6.4 छठ घाट एवं आस-पास के क्षेत्र में कभी कभी तार टूटने अथवा किसी संरचना में करंट आने की अफवाह से अफरा-तफरी हो जाती है। ऐसी स्थिति में प्रतिनियुक्त पदाधिकारी वास्तविकता का पता लगा कर प्रतिनियुक्त दण्डाधिकारी को अवगत करायेंगे।

6.5 प्रतिनियुक्त पदाधिकारी अपने नियंत्री पदाधिकारी और जिला नियंत्रण कक्ष के भी संपर्क में रहेंगे तथा किसी भी प्रकार की अवांछनीय गतिविधि की सूचना शीघ्रातिशीघ्र उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

7- स्वास्थ्यः-

7.1 असैनिक शल्य चिकित्सक सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी को आदेश दिया जाता है कि अनुमण्डल पदाधिकारी सदर, सोनपुर और मढ़ौरा से समन्वय स्थापित कर सभी महत्वपूर्ण छठ घाटो पर चिकित्सक/ पारामेडिकल स्टाफ, स्ट्रेचर और QMRT की प्रशिक्षित टीमो के साथ साथ आवश्यकतानुसार एम्बुलेन्स की प्रतिनियुक्ति करना सुनिश्चित करेंगे।

7.2 असैनिक शल्य चिकित्सक सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी सारण यह सुनिश्चित करेगें कि रोस्टर के अनुसार चिकित्सक, पारामेडिकल स्टाफ, स्ट्रेचर, दवा इत्यादि की व्यवस्था सदर अस्पताल सहित ग्रामीण क्षेत्रों के स्वास्थ्य केन्द्र/ उपकेन्द्र पर 24X7 उपलब्ध रहे। वे क्षेत्र के निजी चिकित्सालयों को भी एलर्ट पर रखेंगे ताकि आपदा की स्थिति में उनका सहयोग प्राप्त किया जा सके।

8- जिला नियंत्रण कक्षः-

जिला नियंत्रण कक्ष 24 घंटा सतत् कार्यरत रहेगा जिसका दूरभाष संख्या 06152-242444 है। अनुमण्डल पदाधिकारी सोनपुर एवं मढ़ौरा अपन-अपने अनुमण्डल कार्यालय में भी नियंत्रण कक्ष स्थापित कर पर्याप्त संख्या में दण्डाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारी/ बल की प्रतिनियुक्ति सुनिश्चित करेगे। सभी अनुमण्डल पदाधिकारी अपने क्षेत्र अंतर्गत पड़ने वाले बड़े घाटों को चिन्हित कर वहां भी नियंत्रण कक्ष की स्थापना कराना सुनिश्चित करेंगे। इसके लिये आवश्यकतानुसार आपदा शाखा से संपर्क कर वहां उपलब्ध टेन्ट की अधियाचना की जा सकती है। जिला नियंत्रण कक्ष कक्ष के वरीय प्रभार में श्री अरुण कुमार, अपर समाहर्त्ता, सारण -9473191268 और श्री रहमत अली, पुलिस उपाधीक्षक, मुख्यालय, सारण- 8544428112 रहेंगे। अनुमण्डल पदाधिकारी, सदर, छपरा जिला नियंत्रण कक्ष हेतु पालीवार पदाधिकारी एवं कर्मी की प्रतिनियुक्ति सुनिश्चित करेगें। जिला नियंत्रण कक्ष के वरीय पदाधिकारी मढ़ौरा एवं सोनपुर अनुमण्डल से भी लगातार सम्पर्क में रहकर प्राप्त सूचनाओं पर नियमानुकूल कार्रवाई सुनिश्चित करेगें। अनुमण्डल पदाधिकारी, सदर, छपरा नियंत्रण कक्ष में पर्याप्त संख्या में कुर्सी, वाहन, प्रकाश, वीडियोग्राफर सहित पालीवार पदाधिकारी, कर्मी एवं अनुसेवी की प्रतिनियुक्ति भी सुनिश्चित करेगें

9-सामान्यः-

9.1 जिला अग्निशाम पदाधिकारी, सारण एक-एक फायर टेंडर दिनांक 1.11.19 के पूर्वाह्न से पर्व की समाप्ति तक जिला नियंत्रण कक्ष, अनुमण्डल नियंत्रण कक्ष सोनपुर एवं मढ़ौरा में प्रतिनियुक्त करना सुनिश्चित करेंगे।

9.2 यह भी पाया गया है कि छठ पर्व के अवसर पर कुछ लोगो द्वारा घाटो/ तालाबों के किनारे पटाखे छोड़े जाने के कारण दुर्घटना की आशंका बनी रहती है। साथ ही साथ

पटाखों की आवाज से अफवाह फैलने की संभावना बनी रहती है जिसका लाभ असामाजिक तत्व उठा सकते हैं। अतएव सभी अनुमण्डल पदाधिकारी घाटो पर पटाखो का उपयोग पूरी तरह प्रतिबंधित कर देंगे तथा पटाखो के प्रयोग से होने वाले संभावित खतरो से आज जनता को होर्डिग, बैनर के माध्यम से अवगत कराना सुनिश्चित करेंगे।

9.3 पूजा के आयोजकों द्वारा विद्यार्थियों, बीमार व्यक्तियों तथ अन्य समुदाय के लोगों की भावना का ध्यान दिए बगैर रात-दिन ऊँचे एवं कर्णभेदी स्वर में लाउडस्पीकर बजाया जाता है और कई बार देर रात्रि तक गीत/ संगीत का प्रसारण किया जाता है जो अवैधानिक है। Bihar Control of the Use and Play of Loudspeakers Act-1955 की धारा 4 के अंतर्गत अनुमण्डल पदाधिकारी को इसको नियंत्रित करने की शक्तियाँ प्रदत्त है। परन्तु आम तौर पर इन शक्तियों का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। सभी अनुमण्डल पदाधिकारी अपने क्षेत्रान्तर्गत सुनिश्चित करेगें कि रात्रि 10.00 बजे से प्रातः 6.00 बजे तक ध्वनि विस्तारक यंत्रों का इस्तेमाल नहीं हो या उसकी ध्वनि इतनी धीमी रखी जाए कि आमजन को परेशानी नहीं हो।

9.4 सभी थाना प्रभारी खैरियत रिपोर्ट वितन्तु/ दूरभाष से जिला नियंत्रण कक्ष को समय पर देना सुनिश्चित करेंगे।

9.5 इस अवसर पर जितने भी पदाधिकारी/ बल प्रतिनियुक्त हैं, उनके द्वारा किसी प्रकार की ढिलाई यदि बरती जाती है तो कड़ी अनुशासनिक कार्रवाई की जायेगी। अतः सभी पदाधिकारी अपने अपने कर्त्तव्य का पालन चुस्ती एवं मुस्तैदी से करेंगे।

9.6 सभी अनुमण्डल पदाधिकारी/ अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी खैरियत प्रतिवेदन वरीय प्रभारी पदाधिकारी, जिला नियंत्रण कक्ष, छपरा को समर्पित करना सुनिश्चित करेगें।

सभी प्रतिनियुक्त पदाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी से यह अपेक्षा की जाती है कि सतर्कता पूर्वक विधि व्यवस्था संधारण करेंगे जिससे कि छठ पर्व हर्षोल्लास एवं शांतिपूर्ण वातावरण में सम्पन्न हो सके।

16.10.19
पुलिस अधीक्षक
सारण,छपरा

16/10/19
जिलाधिकारी
सारण,छपरा

ज्ञापांक 4241 / सी छपरा,दिनांक 16 अक्टूबर,2019

प्रतिलिपिः-

1- अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।
2- आयुक्त, सारण प्रमण्डल, छपरा/ प्रक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक, मुजफ्फरपुर/ पुलिस उप महानिरीक्षक, सारण क्षेत्र छपरा को सूचनार्थ प्रेषित।
3- पुलिस अधीक्षक(जी) विशेष शाखा,बिहार, पटना।
4- सभी अनुमण्डल पदाधिकारी/ अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी/ सदर/ सोनपुर एवं मढ़ौरा / पुलिस उपाधीक्षक, पुलिस केन्द्र, सारण/ पुलिस उपाधीक्षक, विशेष शाखा एवं जिला समादेष्टा, बिहार गृह रक्षा वाहिनी, छपरा को सूचनार्थ प्रेषित।
5- असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, सारण को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
6- प्रतिलिपि प्रभारी पदाधिकारी, जिला आपदा प्रबंधन शाखा, छपराको सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
7- सभी अंचल अधिकारी/ पुलिस निरीक्षक/ थानाध्यक्ष सारण को सूचनार्थ।

8- जिला अग्निशाम पदाधिकारी, सारण को सूचनार्थ।
9- कार्यपालक विद्युत अभियंता पूर्वी एवं पश्चिमी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
10- कार्यपालक पदाधिकारी, छपरा नगर निगम, सभी नगर पंचायत सारण जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
11- प्रतिलिपि जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, सारण, छपरा को सूचनार्थ एवं जिला की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

16/10/17
पुलिस अधीक्षक
सारण,छपरा

16/10/17
जिलाधिकारी
सारण,छपरा